(SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Now, clause 6. There is an amendment, No. 3, by Miss Saroj Khaparde. She is not here. I shall now put clauses 6 to 8 vote.

Clause 6 to 8 were added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): We shall now take up clause 1. There is an amendment by the hon. Minister.

Clause 1

SHRI M. ARUNACHALAM: I beg to move:

"That at page 1 line 3 *for* the figures "1995" the figure "1996" be *substituted.*"

The question was put and the motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): We shall now take up the Enacting Formula. There is an amendment by the hon. Minister.

Enacting Formula

SHRI M. ARUNACHALAM: I beg to move:

"That at page 1, line 1 *for* the words "Forty-sixth", the words "forty-seven", be *substituted.*"

The question was put and the motion was adopted

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI M ARUNACHALAM Madam, I beg to move.

"That the Bill, as amended, be passed."

The question was put and the motion was adopted.

STATUTORY RESOLUTION

Re. Proclamation issued by President in Relation to Uttar Pradesh

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHAMMAD MAQBOOL DAR):

Madam, I beg to move—

"That this House approves the Proclamation issued by the President on 17th October, 1996 under article 356 of the Constitution in relation to the State of Uttar Pradesh."

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Mr. Minister, you can speak on it.

SHRI SATISH AGARWAL: Not necessary. He does not want to speak. *(interruptions).*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Do you want to speak on the Resolution, Mr. Minister?

SHRI SATISH AGARWAL: There is no need. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Do you want to speak on the Resolution or not?

SHRI MOHAMMAD MAQBOOL DAR: No, Madam.

श्री राजनाथ सिंह (उत्तर प्रदेश): मैडम, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति की घोषणा के प्रस्ताव के अनुमोदन का विरोध करने के लिए मैं इस सदन में खड़ा हुआ हूं। मैडम, मैं इस सदन से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि जनता की हत्या करने वाली यह जो राष्ट्रपति की घोषणा है .इसका यह सदन विरोध करे, क्योंकि यह सदन हाउस आफ एल्डर्स कहा जाता है। यह बड़ों का

सदन कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं, जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई है, मैडम, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का यह कहना है कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं था, सदन में किसी भी पार्टी का स्पष्ट बहुमत नहीं था, इसलिए हम किसी को मुख्य मंत्री मनोनीत नहीं कर सकते थे, किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए हम आमंत्रित नहीं कर सकते थे। लेकिन मैडम, संविधान में यह कहीं पर नहीं लिखा है कि जिस पार्टी को यानी किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है किसी सदन में तो किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा कहीं पर संविधान में उल्लेख नहीं है। मैं मानता हूं कि इस बार किसी भी पार्टी को उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन यदि आगे भी चुनाव हो और किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो क्या फिर उत्तर प्रदेश में किसी भी दल की सरकार नहीं बनेगी? एक परंपरा रही है, संसद् की परंपरा रही है। अभी 1996 में लोक सभा का जो चुनाव हुआ है उसमें भी किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन परंपराओं का निर्वाह करते हुए राष्ट्रपति ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बी०जे०पी० को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, हम अपना बहुमत सदन में सिद्ध नहीं कर पाए, सदन का विश्वास हम प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन राष्ट्रपति ने जो कुछ भी किया था उन्होंने एक परंपरा का निर्वाह किया था। लेकिन उत्तर प्रदेश का राज्यपाल ही नहीं किसी भी प्रदेश का राज्यपाल यदि नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने राष्ट्रपति के द्वारा जो परंपरा बनाई गई थी उसका निर्वाह नहीं किया है। सवाल यह खड़ा होता है कि हम किसको गलत मानेंगे? राष्ट्रपति के द्वारा उठाया गया कदम गलत था अथवा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा उठाया गया कदम गलत था? 17.10.95 को राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। अपेक्षा यह की गई थी कि 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जायेंगे। लोक सभा का चुनाव तो मई के महीने में हुआ लेकिन उस लोक सभा के चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश की विधान सभा का चुनाव संपन्न नहीं कराया गया। 6 महीने के लिए फिर राष्ट्रपति शासन बढ़ा दिया गया अब यह किसी भी व्यक्ति के समझ में आने वाली बात नहीं है। यदि लोक सभा का चुनाव संपन्न हो रहा है तो साथ में विधान सभा के चुनाव क्यों नहीं संपन्न हो सकते? लेकिन तर्क यह दिया गया कि चूंकि छात्रों की परीक्षा होने वाली है, इसलिए उत्तर प्रदेश की विधान सभा के चुनाव इस समय संभव नहीं है। मैडम, यदि लोक सभा के चुनाव छात्रों की परीक्षा के चलते संभव हो सकते हैं तो विधान सभा के चुनाव क्यों नहीं? लेकिन सच्चाई यह है मैडम कि इस बात का भय था कि यदि उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव और लोक सभा चुनाव एक साथ होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाएगा और चुनाव परिणाम भी इस बात के साक्षी हैं। लोक सभा चुनाव के परिणामों को अगर हम देखें और विधान सभा के सेगमेंट्स को देखें तो 425 में से 236 स्थानों में भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई थी। मैडम, इसी आंशका के रहते उस के चुनाव नहीं कराए गए और वे अभी अक्तूबर के महीने में हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी सब से बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर आई है। फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपना दावा भी महामहिम राज्यपाल को प्रस्तुत किया कि हम सरकार बनाना चाहते हैं। अभी दावा पेश करते हैं और सदन में अपना बहुमत हम सिद्ध करेंगे। लेकिन मैडम वहां के राज्यपाल तो चुनाव परिणाम आने के पहले ही इस प्रकार के वक्तव्य जारी कर रहे थे कि यदि किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने को हम बाध्य नहीं हैं। मैडम, मैं तो यह आरोप लगाना चाहता हूं*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Mr. Singh, I would like to caution you: please don't make any remarks about the Governor. You know, it is not done in this House. I cannot allow it.

श्री राजनाथ सिंह: मैं कंडक्ट ऑफ गर्वनर की बात कर रहा हूं। मैं गवर्नर की चर्चा करने के लिए बाध्य हूं।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): मैडम, माननीय सदस्य सोते में और जागते में भी मुलायम सिंह को सामने समझते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): I am, dealing with it, Mr. Ish Dutt Yadav. Please sit dwon.

* Expunged as ordered by the Chair.

Mr. Singh, please don't make any remarks about the Governor.

श्री राजनाथ सिंह: मैडम, इस सारी प्रक्रिया के केन्द्र बिन्दु में बिना गवर्नर का नाम लिए चर्चा पूरी नहीं हो सकती।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): You can take this name, but you cannot cast aspersions on the Governor. You are a senior Member—I need not tell you. You cannot cast aspersions on the Governor. I cannot allow it to go on record, I am sorry...(*Interruptions*)...

श्री राजनाथ सिंह: लेकिन गर्वनर के चरित्र पर मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है। ...(**व्यवधान**)... लेकिन हम गवर्नर का नाम भी न लें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): You cannot speak about the Governor. You very well understand what I am saying. I am not saying that you cannot take his name, but you cannot cast aspersions on him. I cannot allow that to go on record.

श्री जितेन्द्र प्रसाद (उत्तर प्रदेश): गवर्नर की नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा होती है।

श्री राजनाथ सिंह: किस की संस्तुति से होती है। वह तो केन्द्र सरकार की संस्तुति पर ही होती है।

मैडम, मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की यह पूरी कोशिश थी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में न आने पाए। मैडम, राज्य सभा के चुनाव का हवाला दिया जाता है। राज्य सभा के जो चुनाव परिणाम आए हैं, यह बात सच है कि अंकगणित के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी और समता पार्टी के गठबंधन ने 175 सीटों पर विजय प्राप्त की है, जो राज्य सभा के चुनाव हुए, उनमें भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाले विधायकों की संख्या बढ़कर 200 तक हो गयी है। मैडम, मैं इस बात को भी मानता हूं कि राज्य सभा के चुनाव को सरकार बनाने अथवा न बनाने के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। ...(**व्यवधान**)... लेकिन हम ने कोई खरीद-फरोख्त नहीं की है। मैं तो इतना ही स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है और गैर-भाजपायी राजनीतिक पार्टियों के समर्थन में विधायकों की संख्या घटती जा रही है। मैं मात्र यह उल्लेख करना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)...

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI (Uttar Pradesh): There is a change of heart also. The scenario is different.

श्री राजनाथ सिंह: आज मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का अवसर मिल जाय तो सदन के अंदर हम अपना बहुमत सिद्ध कर लेंगे, सदन में विश्वास मत प्राप्त कर लेंगे।

लेकिन राज्यपाल का यह कहना हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। तो मैं यह कहना चाहता हूं मैडम, कि सच तो यह है कि राज्यपाल ने परंपराओं का निर्वाह नहीं किया, जैसा मैंने पहले भी कहा।

मैडम, संविधान के अनुच्छेद 174 (1) के तहत विधानसभा राज्यपाल बुला सकते थे और 175(2) के तहत यह मैसेज भी असेम्बली को दे सकते थे कि आप अपने लीडर का चुनाव करना चाहते हैं तो अपने लीडर का चुनाव कर लीजिए और आप स्पीकर का चुनाव कर लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 164(1) का भी मैं यहां पर उल्लेख कर देना आवश्यक समझता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अधीन राजयपाल का कर्तव्य और दायित्व बनता है कि वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करें तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करें। ठीक इसके बाद 164(2) अनुच्छेद संविधान का यह कहना है कि मंत्रि-परिषद बन जाने के बाद वह सामूहिक रूप से केवल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी अर्थात् राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। यदि एक बार 174(1) के तहत विधानसभा बुला ली गई होती और 175(2) के तहत यह मैसेज दे दिया गया होता कि यह विधानसभा अपने मुख्यमंत्री का चयन करना चाहती है और निर्वाचन करना चाहती है तो कर ले, स्पीकर का निर्वाचन करना चाहती है तो वह कर ले अर्थात एक बार सरकार का गठन हो जाता और जब सरकार का गठन हो जाता तो सरकार विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती। जब भी विधानसभा में कोई भी सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता तो उस सरकार को बिल्कुल बाहर कर सकता था और अगर वह अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता तो वह सरकार फिर आगे काम करती रहती। इसलिए राज्यपाल द्वारा यह कहा

जाना कि कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसका कोई औचित्य समझ में नहीं आता।

मैडम, सच तो यह है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के संबंध में यहां जो अब तक की परंपराएं रही हैं, वहीं पर एक सुप्रीम-कोर्ट का भी फैसला है, जिसका मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा। This is the S.R. Bommai case.

> "In our constitution there is no such provision that only that political party should be invited to form the Government which has a majority in the House. That party is required to have the confidence of the House. It is not the duty of the Governor to ensure all this. This has to be decided only by the Assembly. This question is beyond personal satisfaction of the Governor."

मायने यदि बहुमत सिद्ध किया जाना है तो हाऊस के फ्लोर पर वह बहुमत सिद्ध होगा। लेकिन, अब गवर्नर का कहना है कि जब तक हमको 213 लोगों की सूची प्राप्त नहीं हो जाएगी तब तक हम किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं करेंगे। इस पर सरकारिया कमीशन की भी रिकमण्डेशन थी। सरकारिया कमीशन की उस रिकमण्डेशन का भी मैं यहां उल्लेख कर देना चाहता हूं।

श्री अखिलेश दास: मैडम, मेटर सबजुडिस है। आलरेडी हाईकोर्ट में है। जो बात हमारे राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं, इन्हीं की पार्टी बी०जे०पी० के ही कुछ विधायकगण ने हाईकोर्ट में इस बात के लिए मूव किया था। मेटर आलरेडी सबजुडिस है, हाई कोर्ट में है।...

The matter is already *sub judice* in the High Court, and the matter has been referred to a larger Bench.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Are you taking about the Supreme Court judgement that he referred to?

SHRI AKHILESH DAS: I am talking about the action which the Governor took.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): This is the subject of the Resolution. He has to speak on it...*(Interruptions)*

That is the subject of this Resolution. He has to speak on this.

श्री अखिलेश दास: यह मेरी फीलिंग है, मैडम, कि जो आप बोल रहे हैं, वह भावना आगे, चलकर ...**(व्यवधान)**... चूंकि मामला सबजुडिस है, इसको ध्यान में रखा जाना चाहए। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Let him make it clear.

श्री अखिलेश दास: मैडम, आलरेडी वहां यू०पी० के बी०जे०पी० के मैम्बर्स ने हाईकोर्ट में मामला मूव किया है। मेटर सबजुसिड है। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): You said that the matter was *Sub judice*. I want to inform the hon. Member that, no doubt, the matter is in the Court, but since this is now before Parliament, the Proclamation has to be approved now. It is before Parliament. It has to be discussed. That is what the Proclamation is about.

Mr. Rajnath Singh, please coclude now.

श्री राजनाथ सिंह: मैडम, मैं सरकारिया कमीशन की रिकमण्डेशन की चर्चा कर रहा था। सरकारिया कमीशन ने अपनी रिकमण्डेशन में कहा है—

> "In choosing the Chief Minister, the Governor should be guided by the following principles:"
> First, the party or the combination of parties which commands the widest support of the Legislative Assembly should be called upon to form the Government.

"Second, the Governor's task is to see that a Government is formed and not to try and form a Government which will pursue policies which he approves."

यानी गर्वनर का काम यह देखना है कि वह गवर्नमेंट बन जाए, गवर्नमेंट बनाने के लिए कोशिश करना गवर्नर का काम नहीं होना चाहिए लेकिन गवर्नर द्वारा बार-बार

यह कहा जा रहा है कि हमारे सामने कोई ऐसा विकल्प नहीं है, संभावना नहीं है ताकि सरकार बनाई जा सके, महोदया, सरकारिया आयोग ने भी अपनी रिकमेंडेशन्स में साफ कहा है कि जो सिंगल लारजेस्ट पार्टी है, उसको बुलाना चाहिए, लेकिन फिर भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, श्री आर० वेंकटरमन ने भी अपनी एक पुस्तक "माई प्रेज़ीडेंशियल ईयर्स" में लिखा है कि:— the largest political party should be called to form a Government.

लेकिन इन सारी परम्पराओं को भी पूरी तरह से ठुकराया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी को जनादेश प्राप्त नहीं है। जनादेश को हम कैसे परिभाषित करना चाहते हैं? मैडम, आप भी जानती हैं कि किसी भी विधान सभा या लोक सभा सेगमेंट में कई प्रत्याशी चुनाव के मैदान में आते हैं और जो प्रत्याशी सबसे अधिक मत प्राप्त करता है, वह प्रत्याशी निर्वाचित माना जाता है और यह माना जाता है कि उसे जनादेश प्राप्त हुआ है। यानि जनादेश प्राप्त प्रतिनिधि के रूप में उसे मान्यता मिल जाती है। वैसी ही किसी सदन में यदि किसी राजनीतिक पार्टी के सबसे अधिक संख्या में प्रतिनिधि आ जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से यह माना जाएगा कि उस सदन में सर्वाधिक जनादेश प्राप्त वही पार्टी है, जिसकी कि सबसे ज्यादा संख्या है। इस आधार पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की विधान सभा में भी जनादेश प्राप्त वास्तव में यदि कोई पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है और हमको सदन का विश्वास प्राप्त है या नहीं, इसका फैसला सदन के फ्लोर पर होगा, राजभवन में नहीं होगा।

इसके साथ ही मैं इस सदन से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा विशेष रूप से कि धारा 356 का किस बुरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। इन 46 वर्षों में 100 बार धारा 356 का प्रयोग किया गया है और यूनाइटिड फ्रंट की गवर्नमेंट में जो भी राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं और इन राजनीतिक पार्टियों के मुख्य मंत्री जहां-जहां भी हैं—इंटरस्टेट काउंसिल की मीटिंग इसी भारत की राजधानी दिल्ली में हुई थी, वह तब हुई थी जब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा रही थी उसके ठीक 24 घंटे पहले यह मीटिंग हुई थी—उन चारों मुख्य मंत्रियों ने यह कहा था कि धारा 356 का दुरुपयोग रोका जाना चाहिए। कुछ ने तो यह भी सुझाव दिया था कि धारा 356 को भारत के संविधान से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। धारा 356 का दुरुपयोग करके किस तरीके से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन एक साल से अधिक बढ़ा दिया गया। एक साल से अधिक राष्ट्रपति शासन बढ़ाए जाने का कहीं पर कोई प्रोविज़न नहीं है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति शासन बढ़ाया गया और हमारी यूनाइटिड फ्रंट की गवर्नमेंट के द्वारा कोशिश हो रही है कि इस प्रस्ताव को सदन का अनुमोदन भी प्राप्त हो जाए। अभी यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था और हाई कोर्ट के दो जजों की एक खंडपीठ ने इस बारे में अपनी वरडिक्ट दी है। यह बात सच है कि उन हाई कोर्ट के जजों की वरडिक्ट में समानता नहीं थी, मतभेद था, लेकिन एक जज के वरडिक्ट का मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा। मैडम, ...(**व्यवधान**)...

श्री अखिलेश दास: मैडम, अगर यह जजमेंट का उल्लेख करें तो दोनों जजों का बताएं:

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): But, he is making a speech. Let him speak. (*Interruptions*)

SHRI AKHILESH DAS: But that judgment is going full band.

THE VICE CHAIRMAN (SMT. JAYANTHI NATARAJAN): Let him make his speech. When you get your turn, you can make your speech. You can refer to the other judge then.

श्री राजनाथ सिंह: जस्टिस मिस्टर ए०एन० गुप्ता ने कहा है कि:—

"The Petitions are allowed. The Proclaimations dated 17th October, 1996 reimposing the President's Rule in the State of U.P. and the Presidential Order of the same date delegating powers to the Governor are biased."

और आगे क्या कहा है:—

"I also commend the Governor to invite the single largest party to form a democratic Government in the State whithin three days from today, unless, in the mean time, some factions commanding absolute majority in the House come forward to form a Government."

जिस दूसरे जज के वर्डिक्ट की बात हमारे माननीय सदस्य कर रहे हैं, यहां पर मैं उसका भी उल्लेख कर देना चाहता हूं कि दूसरे खंडपीठ के जज ने क्या कहा।

"Justice S.H.A. Raza dismissed the

writ petitions, concluded his six-page judgement saying that democracy is never assassinated. When it dies, it dies by committing suicide."

"इसका ऐसैसिनेशन कभी नहीं किया जा सकता। यदि मरती है तो अपने से मरती है।" आगे उन्होंने कहा है कि—"It is expected that leaders of all political parties in the State of Uttar Pradesh in no case will allow democracy to commit suicide by overcoming their touch-me-not syndrome."

यानी वह राजनीतिक पार्टियों से यह अपेक्षा करते हैं कि यह स्थिति उत्तर प्रदेश में कभी न आने दें कि लोकतंत्र वहां पर सुसाईड करे। तो मैं अपने साथियों से यह कहना चाहता हूं कि वे खुद अपने हृदय पर हाथ रखकर यह सवाल पूछें कि अगर उत्तर प्रदेश में डेमोक्रेसी सुसाईड कर रही है तो उसके लिए कौन सी राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार हैं। जस्टिस रज़ा ने राज्यपाल की भूमिका को सराहा नहीं है। बल्कि उन्होंने घुमा-फिराकर वहां के राज्यपाल की और राजनीतिक पार्टियों की भूमिका की आलोचना की है। जस्टिस गुप्ता ने जो कहा है, मैं उसका भी उल्लेख कर देना आवश्यक समझता हूं। उन्होंने कहा है कि—"This is a healthy precedent and has to be followed more so in the case of minority Government. The single-largest party in Uttar Pradesh alone has staked its claim to form a Government and has undertaken to prove its majority on the floor of the House within the time fixed by the Governor and no other party has come forward to form a Government."

किसी दूसरी पार्टी ने दावा नहीं किया, केवल भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया और जब भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया तो इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इस बात का आकलन करें कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो वास्तव में सदन में बहुमत सिद्ध करने की स्थिति में है। वह आकलन करें, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं लेकिन आकलन करने का सवाल कहां पैदा होता है? भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। मुझे आश्चर्य होगा अगर लोक सभा के अंदर इस रेज़ोल्यूशन का अनुमोदन हो जाएगा और इस राज्य सभा के अंदर भी इस रेज़ोल्यूशन का अनुमोदन हो जाएगा। यह तो सबसे बड़े आश्चर्य की बात होगी।

महोदया, यहां कांग्रेस के बहुत से सदस्य बैठे हैं, अहलुवालिया जी भी बैठे हैं। मैं जानता हूं कि लोकतांत्रिक मूल्यों में इनकी बहुत आस्था है। जनतंत्र को कभी भी ये कम से कम सुसाईड करने की इज़ाजत नहीं देंगे। कुछ ऐसे लोग हैं, जिनसे मैं यह उम्मीद करता हूं। वास्तव में कांग्रेस पार्टी तो लोकतंत्र की हत्या करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जिस समय 17 अक्टूबर, 1996 को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन एक वर्ष से ज्यादा बढ़ाया गया, असंवैधानिक तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से तो उस समय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष श्री सीताराम केसरी ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, मैं उसका भी उल्लेख कर देना चाहता हूं। श्री केसरी ने कहा था कि—"I do not approve of this, democracy should function without any obstacle."

श्री अजीत जोगी (मध्य प्रदेश): केसरी जी ने हिंदी में बोला होगा।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी (उत्तर प्रदेश): पहले यह तय कर लो कि हिंदी में बोला था या अंग्रेजी में बोला था।

श्री राजनाथ सिंह: केसरी जी ने कहा था कि—"मैं लोकतंत्र को बिना किसी बाधा के चलने देना चाहता हूं और जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में किया गया है, मैं उसका अनुमोदन नहीं करता हूं"। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता श्री गाडगिल साहब कहते हैं कि—"He dismissed the United Front's claim to keep the BJP out of power, while in effect he wanted to prevent a poor dalit woman from becoming the Chief Minister."

यानी कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि यह सब रास्ता इसलिए अख्तियार किया गया कि उत्तर प्रदेश में एक दलित महिला को यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट सरकार बनाने की इज़ाजत नहीं देना चाहती। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी सौभाग्य से यहां बैठे हैं।

मैं उनेस कहना चाहूंगा कि यह प्रस्ताव इस राज्य सभा के द्वारा कम से कम अनुमोदित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह गरीबों की मसीहा और दलितों की

मसीहा अपने को मानने वाली है यूनाइटेड फ्रंट, अगर उत्तर प्रदेश में एक दलित महिला को मुख्य मंत्री बनाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अजीत जोगी: आप भी समर्थन करेंगे। अगर आपको आपत्ति नहीं है तो आप भी समर्थन करेंगे....**(व्यवधान)**

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): आपने सरकार बनवाई और फिर गिरवा भी दिया था उस दलित महिला की। ....**(व्यवधान)**

श्री राजनाथ सिंह: मैडम, मैं तो यह कहना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी को तो अछूत माना जाता है और आप सब बार-बार यह दावा भी करते हैं कि साम्प्रदायिक पार्टी यदि हिन्दुस्तान में कोई है तो उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है, यह आपका दावा है। आपके द्वारा बार-बार यह आरोप लगाए जाने के बावजूद दिनोंदिन भारतीय जनता पार्टी का जनाधार इस हिन्दुस्तान में बढ़ता जा रहा है। मैं कहता हूं कि वास्तव में अपने को तथाकथित रूप से अपने को एक मानते हैं तो क्यों नहीं अपने सारे अहंकार को भूलकर आप सारी गैर भाजपाई राजनीतिक पार्टी मिलकर उत्तर प्रदेश को एक स्थाई सरकार दे दें। आप केवल घड़ियाली आंसू बहाने का काम करते हैं। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जनता को ठगने का काम करते हैं। औसतन 1989 से 1996 तक 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश को स्थाई सरकार नहीं मिल पाई। 1991 का एक अवसर ऐसा था जबकि 1991 में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत सदन में प्राप्त हुआ था और हमने अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन छः दिसम्बर के एक कांड का सहारा लेकर केवल उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान की चार-चार जनतांत्रिक तरीके से चुनी हुई हमारी लोकप्रिय सरकारों को कांग्रेस ने बर्खास्त कर दिया और 1991 में **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): You have taken 22 minutes. Please conclude now.

श्री राजनाथ सिंह: बस मैडम्, दो-तीन मिनट। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि 1989 से लेकर 1996 तक इन 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश को स्थाई सरकार नहीं मिल पाई और उसके कारण हालत इस सीमा तक बदतर हो गई है कि उत्तर प्रदेश का विकास पूरी तरह से ठप्प हो गया है, यानि केन्द्रीय सरकार के द्वारा भी जो धनराशि उत्तर प्रदेश के लिए निश्चित की गई है उसका भी जिस रूप से सदुपयोग होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। कानून और व्यवस्था की स्थिति बदतर हो गई है। राहजनी, डकैती, अत्याचार और बलात्कार की घटनाएं दिनोंदिन बढ़ती जा रही हैं और राजभवन*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Please don't make these remarks against the Raj Bhawan. I won't allow. I am sorry. I am not going to allow that to go into the record. The remarks against the Raj Bhawan and the Governor will not go on record.

श्री राजनाथ सिंह: मैडम, जो भी सच्चाई है वह भी ऑन रिकार्ड नहीं, तो क्या ऑन रिकार्ड आना चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN: You can speak about the Proclamation.

श्री राजनाथ सिंह: मैडम, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हम वास्तव में लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, लेकतंत्र को इस देश में सशक्त और प्रभावी बनाना चाहते हैं तो मैं इस पूरे सदन का आह्वान करना चाहूंगा, मैं सदन से अनुरोध चाहूंगा कि यह प्रस्ताव जो गृह मंत्री जी के द्वारा सदन में पेश किया गया है, इस प्रस्ताव को पारित न होने दें और मैं यह भी सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश से राष्ट्रपति शासन समाप्त किया जाना चाहिए और सिंगिल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रत किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह काम यदि किया जाता है तभी जाकर उत्तर प्रदेश की जनता के साथ न्याय हो पाएगा, क्योंकि अब तक उत्तर प्रदेश की जनता को बराबर छलने का काम और धोखा देने का काम किया गया है और एक बहुत बड़ा कांस्टीट्यूशन फ्राड करके यह विश्वासघात उत्तर प्रदेश की जनता के साथ किया गया है। इसलिए मैं मैडम, अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए इस प्रस्ताव का जो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के अनुमोदन का प्रस्ताव है, विरोध करते हुए और साथ ही उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को समाप्त करने की मांग करते हुए और सबसे बड़ी पार्टी—भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।

श्री जितेन्द्र प्रसाद: मैडम, सदन के अंदर राष्ट्रपति जी के द्वारा जो 17 अक्तूबर को घोषणा हुई थी उसका अनुमोदन करने के लिए आज हम बहस कर रहे हैं।

*Expunged as ordered by the Chair.

माननीय सदस्य जब अभी प्रदेश के पिछले इतिहास के बारे में कुछ ब्यौरा दे रहे थे तो मैं सोच रहा था कि यह वह उत्तर प्रदेश है जिसका बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है तो मैं सोच रहा था कि यह वही उत्तर प्रदेश है जिसका एक बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। सन् 1989 से पहले वहां स्थिर सरकारें थीं और इसी प्रदेश ने न सिर्फ प्रदेश को बल्कि पूरे देश को कई बार दिशा दी है। आज हम एक मुख्य मंत्री को तरस रहे हैं और यह वही प्रदेश है जिसने इस देश को सात-सात प्रधानमंत्री दिए हैं। आज इसी प्रदेश के अंदर स्थिरता का वातावरण बना हुआ है और आज या कल से नहीं बल्कि सन् 1989 से लेकर आज तक, हम चार सरकारें वहां देख चुके है, दो बार राष्ट्रपति शासन देख चुके हैं और आज फिर राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन किया जाए, इस पर हम बहस कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान इस अस्थिरता के वातावरण की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। यहां सरकारें आती हैं, सरकारें बनती हैं और सरकारें अपना कार्यकाल पूरा न करके कुर्सी से हट जाती हैं। घोषणा-पत्र जनता के सामने जाते है, वादे लेकर राजनीतिक दल जनता के सामने जाते हैं और वादों को पूरा करना तो अलग रहा, अपनी कुर्सी बचाने में सन् 1989 से लेकर अब तक जितनी सरकारें आई हैं, इसी काम में लगी रहीं। मैं इसका दोष इधर के बैठे भा०ज०पा० के सभी सदस्यों और अपने यूनाइटेड फ्रंट के सदस्यों पर लगाना चाहता हूं क्योंकि इतने सालों से यही दोनों राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहे हैं।

अभी एक माननीय सदस्य सन् 1991 का जिक्र कर रहे थे। हां, उस वक्त एक बहुमत की सरकार बनी थी और उस बहुमत की सरकार ने जिस प्रकार का कुकर्म किया था, वह देश के लिए एक शर्मनाक घटना थी। उस सरकार को जाना पड़ा था और मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि उस प्रदेश को कम से कम इस प्रकार की सरकार फिर कभी न दे। उसके बाद से निरंतर इस तरीके की सरकारें बनती रहीं जो जनता की समस्याओं, प्रदेश की तरक्की और प्रदेश की जो स्थिति इस वक्त है, उसको खत्म करने में, उसको विकास की तरफ ले जाने में, उसको तरक्की के रास्ते पर लाने में बिल्कुल विफल रही हैं। आज हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं और जितने भी राजनीतिक दल हैं, मैं तो यह समझता हूं कि आज सभी के लिए यह एक बहुत गंभीर प्रश्न है कि आखिर हम इस उत्तर प्रदेश के साथ आज क्या कर रहे हैं?

मैडम, मेरे ख्याल से आज उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। अगर शैक्षिक स्थिति देखें तो उसमें भी हम सबसे पिछड़ते चले जा रहे हैं। आज अगर पूंजी निवेश की स्थिति देखें तो आज जहां पूरा देश तरक्की की तरफ जा रहा है, हमारा प्रदेश पीछे हट रहा है। महोदया, वह विधान सभा जो विद्वता का अखड़ा थी, जहां विद्वानों के, राजनीतिज्ञों के जो भाषण होते थे, वे देश के लिए प्रेरणा के स्रोत बनते थे, उसी विधान सभा के अंदर हमने लात-घूंसा, गाली-गलौज और खून-खराबा होते देखा है। उत्तर प्रदेश की यह दशा तब से हुई है जब से इस प्रदेश के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीति के मुख्य मंच से हटी है। सन् 1989 के बाद से कांग्रेस राजनीति के मुख्य मंच से हट गई और तब से एक अस्थिरता का वातावरण उस प्रदेश के अंदर हावी हो गया है।

श्री ओ०पी० कोहली (दिल्ली): हट नहीं गई थी, हटा दिया गया था।

श्री जितेन्द्र प्रसाद: हटाने का फल आज प्रदेश वासी सन् 89 से लेकर सन् 96 तक भोग रहे हैं। यह हटाने का फल था। ....**व्यवधान**).... महोदय, लोक सभा का चुनाव हुआ और लोक सभा के चुनाव में एक जनमत देश को मिला था और जनमत यह था कि 80 फीसदी मत धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मिले थे। एक मजबत सरकार का गठन कांग्रेस के समर्थन से केन्द्र में हुआ था। कांग्रेस ने 12 मई को अपनी कार्य समिति में एक प्रस्ताव पारित किया था और उस समय हम नहीं जानते थे कि कौन प्रधान मंत्री बनेगा, कौन नेतृत्व करेगा, कितने दल एक होंगे? हमने 12 मई को एक प्रस्ताव पारित किया था कि अगर धर्मनिरपेक्ष ताकतें देश में एक होती हैं तो हम उनको समर्थन देंगे, हमको जनता का मेंडेड नहीं मिला है इसलिए हमारा समर्थन उनको जायेगा। हमने उस वक्त यह नहीं देखा था कि श्री देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री बनेंगे या ज्योति बसु जी प्रधानमंत्री बनेंगे या मुपनार जी प्रधानमंत्री बनेंगे या वी०पी० सिंह जी प्रधानमंत्री बनेंगे या लालू प्रसाद जी प्रधान मंत्री बनेंगे। हमने धर्मनिरपेक्ष ताकतों को सिद्धांत के ऊपर समर्थन दिया था और समर्थन का नतीजा यह हुआ कि आज एक धर्मनिरपेक्ष सरकार इस देश में बनी हुई है। मगर हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यूनाइटेड फ्रंट का कमिटमेंट सेक्युलरिज्म में जो होना चाहिए था वह नहीं हुआ। जहां हमने बिना शर्त समर्थन दिया था वहां हमने एक उम्मीद जाहिर की थी, हमें एक उम्मीद थी कि जो हमने बिना शर्त समर्थन दिया उसके

साथ एक बहुत बड़ा भरोसा और विश्वास भी इनको दिया था और उस विश्वास को हम समझते थे कि जब समय आएगा तो वह विश्वास रेसीप्रोकेट किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के अन्दर जब कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था तो हमने चुनाव के दौरान यह एलान किया था, हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री सीताराम केसरी जी ने भी यह कहा था कि हमें पूरे उम्मीद है कि यहां पर धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करने के लिए हमें यूनाइटेड फ्रंट का समर्थन मिलेगा और हम एक दलित महिला के नेतृत्व में प्रदेश के अन्दर एक मजबूत सरकार देंगे। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह कमिटमेंट पूरा नहीं हो सका। तमाम धर्मनिरपेक्ष ताकतें बंटी और धर्म निरपेक्ष ताकतों के बंटने से सीधा फायदा साम्प्रदायिक शक्तियों को हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि मिलकर चुनाव न लड़ने की सीधी-सीधी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के ऊपर जाती है क्योंकि वह धर्मनिरपेक्ष ताकतों का नेतृत्व करते हैं। अगर हम मिलकर चुनाव लड़े होते तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को सौ से भी कम सीटें मिलती और वह इस शक्ल में न आती कि आज वह कहती है कि हम सबसे बड़े बड़े दल हैं, हमको सरकार बनाने के लिए बुलाया जाए। इस विफलता की जिम्मेदारी मैं अपने यूनाइटेड फ्रंट के ऊपर रखता हूं, यूनाइटेड फ्रंट के नेतृत्व के ऊपर रखता हूं।

महोदया, यह ठीक है कि 17 अक्तूबर को जब यह राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो हमने उसका विरोध किया, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने भी विरोध किया। हमने इसलिए विरोध किया था कि अगर यूनाइटेड फ्रंट समझदारी से काम लेता और हमें समर्थन देता तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती और एक प्रचण्ड बहुमत की वहां पर सरकार बनती। यह जो गतिरोध पैदा हुआ है उसको हम एक कांस्टीट्यूशनल फेल्योर ही कहेंगे डेमोक्रेसी के अन्दर।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा) पीठासीन हुईं

अगर ये कांस्टीट्यूशनल फेल्योर नहीं होता तो धारा 356 का उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती। 16 अक्तूबर को यहीं पर बहुत से मुख्य मंत्री मिले थे और उसी यूनाइटेड फ्रंट के कंस्टीट्यूएंट्स मुख्य मंत्री ने यहां तक कहा था कि धारा 356 को संविधान में से निकाल देना चाहिए, धारा 356 का उपयोग नहीं होना चाहिए और इतने कड़े शब्द इस्तेमाल करने के बाद दूसरे ही दिन धारा 356 का इस्तेमाल होता है तब हमने यह कहा थां कि यूनाइटेड फ्रंट अपनी जिम्मेदारी से हट रहा है और उसीक जिम्मेदारी बनती थी कि हर कीमत पर धारा 356 का उपयोग उत्तर प्रदेश में न किया जाये, यह उसको देखना चाहिए था और सबसे सरल तरीका यह था कि सीधे-सीधे वह अपना समर्थन कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन को देते। वहां पर एक सरकार बनती तो इस धारा 356 के इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ती।

यूनाइटेड फ्रंट के हमारे बहुत से साथी हमको कहते हैं कि वहां पर हमारे दल की संख्या ज्यादा थी, हम ज्यादा सीटें जीते थे, आपको समर्थन देना चाहिए था । मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि हमने आपको समर्थन दिया, एक बार नहीं दो-दो बार। हमने उत्तर प्रदेश में समर्थन दिया, हमारे समर्थन से यहां केन्द्र में सरकार बनी हुई है और आज हम गुजरात में भी समर्थन दे रहे हैं। सिर्फ इसलिए समर्थन दे रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष ताकतें मजबूत हों, धर्म निरपेक्षता इस देश की मजबूत हो। आज जब हम आपसे एक बार समर्थन मांगते हैं तो हमारा भी दावा है, हमारी संख्या 140-144 है और हम आपके जनता दल की 13 दलों की मिली हुई सरकार को समर्थन दे रहे हैं, हमारी संख्या बहुत ज्यादा है। आपको इसे रेसिप्रोकेट करना चाहिए और आपको अपना समर्थन ....**(व्यवधान)**

श्री राजनाथ सिंह: मैं यह निवेदन कर रहा था कि आपसी झगड़े की बात है, आपसी झगड़े की चर्चा ...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): सुनिये, बैठिये-बैठिये। आपको मैंने इजाजत नहीं दी है। **(व्यवधान)** बिना इजाजत के जो कोई बोलेगा, वह रिकार्ड में नहीं जायेगा।

श्री जितेन्द्र प्रसाद: मैंने इसकी चर्चा की, यह इसलिए रेलेवेन्ट है कि जो बातें मैं कह रहा हूं उनके ऊपर हमारे साथी ध्यान देते तो 356 का इस्तेमाल नहीं होता। जब 356 का इस्तेमाल नहीं होता तो राजनाथ सिंह जी, हमको, आपको दोनों को यहां कष्ट करने की जरूरत नहीं होती, इस पर बहस ही नहीं होती। इस वजह से मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं।

मेरा कहना यह था कि जिस तरीके से कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करने के लिए बार-बार अपनी कुर्बानी देती है, मजबूत करती है, जिस ढंग से हम चाहते हैं, जिस ढंग से होना चाहिये, उस ढंग से नहीं किया जा रहा है। आज यह कहा जाता है कि

भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों की राजनीति करती है मगर आज आपकी मारैलिटी फ्लैक्सेबल है, फ्लैक्सेबल मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप सैन्टर के बारे में भी बात कर रहे थे। सैन्टर के बारे में बराबर आप यह कह रहे थे कि यहां पर सबसे बड़ा दल होने के नाते जिस तरीके से केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रित किया गया उसी तरीके से उत्तर प्रदेश भी भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ा दल है उसको आमंत्रित किया जाये। इस बारे में मेरा कहना है कि सैन्टर में और प्रदेश में अन्तर है। सबसे बड़ा अन्तर तो यह है कि सैन्टर के अन्दर हमेशा एक गवर्नमेंट होगी, हमेशा एक प्राइम मिनिस्टर होगा चाहे कोई भी परिस्थिति हो यहां प्रेसिडेंट रूल का प्रावधान नहीं है।

There will always be a Prime Minister.

यहां सबसे बड़े दल को राष्ट्रपति जी ने सरकार बनाने का निमंत्रण दिया था वह सही था। कांग्रेस ने उस वक्त यह लिखकर नहीं दिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने, बहुजन समाज पार्टी ने, युनाटेड फ्रन्ट ने यह साफतौर से गवर्नर से कह दिया था। 9 अक्तूबर को रिजल्ट आउट हो गये थे और 16 तारीख को आपने दावा पेश किया। 16 तारीख तक आप क्यों खामोश बैठे रहे? आप खामोश इसलिए बैठे रहे, आप समझते थे कि आपका दावा खोखला है। यह खोखला दावा समझने के पीछे जो बात थी वह यह थी कि 1993 में उसी तरीके से सबसे बड़े दल के रूप में आपकी पार्टी उभरी थी, उस वक्त भी आपने दावा किया था और सरकार दूसरे दल की बनी थी। दूसरे दलों का गठबन्धन हुआ था और वहां पर मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में एक सरकार बनी थी। वही 1993 की पुनरावृत्ति 1996 में हुई थी। वहां पर गवर्नर ने यह देखा कि एक दल सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आया है। मैंने गर्वनर की रिपोर्ट को पढ़ा था। उस बड़े दल के अलावा जितने और दल थे उन्होंने जाकर गवर्नर से कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे और इन दलों की शक्ति 234 एम०एल०एज० की होती है जो बहुत से कहीं ज्यादा होती है। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पमत की सरकार होती, स्टेबलिटी प्रूव नहीं कर सकती थी। इस वजह से गवर्नर ने आपको आमंत्रित नहीं किया। मैं उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं और जो उन्होंने फैसला लिया मैं उसका अनुमोदन भी करता हूं।

मगर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आपने बराबर जो प्रयास किया था, उसके पीछे आपकी नैतिकता कहां गई थी जिसकी आप बराबर दुहाई देते रहते थे। किस तरीके से आप बहुमत बनाना चाहते थे? मैं आज पूछना चाहता हूं। राज्य सभा की बात आप करते है कि 20 वोट हमको ज्यादा मिल गये या 15 वोट हम को ज्यादा मिल गये। मैं पूछना चाहता हूं कि किस तरीके से आपको 15 वोट ज्यादा मिले हैं, जरा मुझे इसकी जानकारी दीजिये। क्या आपने पूंजीपतियों को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया था? क्या समाचार-पत्रों में इस तरीके के समाचार नहीं छपे थे कि भारतीय जनता पार्टी धन्ना सेठों का इस्तेमाल करके राज्य सभा का चुनाव जीतना चाहती है। अगर इस तरह के समाचार छपे थे और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर बहुमत बनाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि आज जिस नैतिकता का मुखौटा आप लगाए हुए हैं उसको उठा कर फैंक दीजिये और साफ साफ कहिये कि हम सौदेबाजी करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना चाहते हैं ताकि प्रदेश की जनता आपका असली चेहरा देख सके।

एक माननीय सदस्य: सांसदों को किसने खरीदा था? **(व्यवधान)**

श्री जितेन्द्र प्रसाद: आप कहिये कि आप खरीदने जा रहे हैं **(व्यवधान)**

श्री विष्णु कान्त शास्त्री (उत्तर प्रदेश): यह काम तो आपको ही मुबारक हो **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): माननीय सदस्य, कितना समय और लेंगे?

श्री जितेन्द्र प्रसाद: दो चार मिनट। **(व्यवधान)**

श्री राजनाथ सिंह: हम पर आरोप लगाया गया है **(व्यवधान)** मुझे जवाब देने दीजिये।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): बैठिये, आपकी पार्टी से जो बोलेंगे, जवाब दे देंगे **(व्यवधान)**

विपक्ष के नेता (श्री सिकन्दर बख्त): अगर आप इजाजत दें तो मैं खाली यह पूछना चाहता हूं कि इंपोजीशन आफ प्रेजीडेंट रूल के बोर में कांस्टीट्यूशनल पोजीशन के बारे में आपका क्या कहना है? क्या प्रेजीडेंट रूल ही प्रजीडेंट रूल को रिप्लेस कर सकता है या प्रेजीडेंट रूल के इंपोजीशन के लिए कोई और रूल होना जरूरी है? **(व्यवधान)**

†آنریبل سکندر بخت: اگر آپ اجازت دیں
تو میں خالی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امپوزیشن

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

آف پریزیڈینٹ رول کے بارے میں کانسٹی ٹیوشنل پوزیشن کے بارے میں آپکا کیا کہنا ہے۔ کیا پریزیڈینٹ رول ہی پریزیڈینٹ رول کو ریپلیس کر سکتا ہے یا پریزیڈینٹ رول کیلئے کوئی اور رول ہونا ضروری ہے۔

...مدراخلت [0.00

श्री अजीत जोगी: वही भूमिका बता रहे है।

श्री सिकन्दर बख्त: कांस्टीट्यूशनल पोजीशन बता दीजिये इंपोजीशन आफ प्रेजीडेंटस रूल के बारे में।

†[شری سکندر بخت: کانسٹی ٹیوشنل پوزیشن بتا دیجئے۔ امپوزیشن آف پریزیڈینشل رول کے بارے میں۔]

श्री जितेन्द्र प्रसाद: सिकन्दर बख्त साहब यह बात बिलकुल आपकी सही है, मैं उसी पर आ रहा हूं मगर इससे पहले यह बताना जरूरी है कि आखिर प्रेजीडेंट रूल क्यों हुआ। यह जो बहस की जा रही है कि हमारी सब से बड़ी पार्टी थी ...(**व्यवधान**)

श्री नीलोत्पल बसु: कांस्टीट्यूशन के बारे में आपको दिलचस्पी कब से हो गई? (**व्यवधान**)

श्री जितेन्द्र प्रसाद: प्रदेश के अन्दर जो चुनाव हुए (**व्यवधान**) मैडम, मेरा टाइम तो है नहीं फिर आप कहेंगे कि टाइम हो गया। प्रदेश के अन्दर जो चुनाव हुए उसमें साफ यह जाहिर था कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकारा है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ही लोगों का कहना है कि लोक सभा के चुनावों के अन्दर हमने 236 सेगमेंट जीते थे और विधान सभा के चुनावों के अन्दर हमने 174 सेगमेंट जीते हैं। यह जनता का संदेश अगर आप नहीं समझे हों तो अब समझ लें। जनता का संदेश लोक सभा के चुनावों में भी इनको मिला था मगर लोक सभा के चुनाव में यह स्पष्ट नहीं समझ सके थे। 13 दिन की इनकी सरकार बनी थी। मैं सिकन्दर बख्त साहब की बहुत इज्जत करता हूं। 13 दिन की सरकार में इनकी जो कैफियत हुई थी (**व्यवधान**)

श्री राजनाथ सिंह: मैं एक छोटा सा आग्रह करना चाहता हूं। (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): राजनाथ सिंह जी आप इंटरफियर मत कीजिये। बैठिये।

†[] Transliteration in Arabic Script.

श्री राजनाथ सिंह: मैं एक छोटी सी जानकारी चाहता हूं। (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कीजिये।

श्री जितेन्द्र प्रसाद: जो 13 दिन की सरकार बनी थी, जिस तरीके की सरकार बनी थी, जो सरकार ने किया था, मेरे ख्याल में सिर्फ एक एनरॉन का सौदा पूरा करने के इलावा शायद ही कोई और काम किया हो हम इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देना चाहते थे। इसलिए आज जो राष्ट्रपति शासन है इसको हम नहीं मानते हुए भी, इसका विरोध करते हुए भी जिस वक्त यह पता लगा था हम समझते थे कि यह लोकतंत्र के लिए हितकारी नहीं होगा मगर इस तरह की पुनरावृत्ति इस प्रदेश में न हो इसलिए हम आज इसका अनुमोदन करते हैं और हम समझते हैं कि राज्यपाल के सामने, राष्ट्रपति जी के सामने इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था।

श्री सिकन्दर बख्त: मैंने आपसे यह अर्ज किया था कि प्रेजीडेंट रूल की कांस्टीट्यूशनल पोजीशन बता दीजिये। क्या उसका प्रिरिक्विज़ट कोई और रूल है या नहीं या प्रेजीडेंट रूल ही प्रेजीडेंट रूल को रिप्लेस कर सकता है

†[شری سکندر بخت: میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ پریزیڈینٹ رول کی کانسٹی ٹیوشنل پوزیشن بتا دیجئے۔ کیا اسکا پریریکیوزٹ کوئی اور رول ہے یا نہیں یا پریزیڈینٹ رول ہی پریزیڈینٹ رول کو ریپلیس کر سکتا ہے۔]

श्री जितेन्द्र प्रसाद: देखिए प्रेजीडेंट रूल को प्रेजीडेंट रूल रिप्लेस कर सकता है, यह तो साफ तौर से गवर्नर की रिपोर्ट में सब, पूरा है। आप कहें तो मैं पढ़कर सुना दूं आपको दूसरा, सरकारिया कमीशन की जो बात अभी माननीय राजनाथ सिंह जी ने की है मैं जरा सरकारिया कमीशन को कोट करना चाहता हूं। यह आपकी बात का भी जवाब हो जाएगा।

"Under the Constitutional Scheme, it appears where after holding general elections to Assembly, it emerges that no political party or coalition of parties or groups is able to secure majority in the

Legislative Assembly and despite the Governor's exploring the alternative this situation would be a case of completely demonstrable inability of any political party to form a stable Government commanding the confidene of the majority members of the Legislature, it would be a case of failure of Constitutional machinery."

This is an extract from the Supreme Court judgement in Bommai case.

आपने जिक्र किया था, ...(**व्यवधान**)... कांस्टीटयूशनल फेल्योर (**व्यवधान**) यह एक्सट्रेक्ट है फ्राम द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन बोम्मई केस। मैं जो यह बात कह रहा था कि अगर कोई भी यहां पर (**व्यवधान**) सारे जितने भी दल वहां पर मौजूद हैं कोई भी अगर बहुमत के लिए यदि कोई गठबंधन नहीं कर सकता था, किसी दल का टेन्थ शिडयूल के अंदर कोई डिफेक्शन नहीं हुआ था तो यह बात बिल्कुल तय है कि कोई भी सरकार स्टेबिलिटी इस प्रदेश को प्रोवाइड नहीं कर सकती थी और स्टेबिलिटी इस प्रदेश को प्रोवाइड नहीं कर सकती थी तो जो राज्यपाल ने फैसला दिया मैं समझता हूं कि वही फैसला उचित था। मगर उसी के साथ साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे यूनाइटेड फ्रंट के साथी, सेक्यूलर फोर्सेज के सिद्धांत को मजबूत करने के लिए, उन उसूलों के ऊपर, सिद्धांतों के ऊपर एक नया रास्ता बनाएंगे (**व्यवधान**) एक दलित महिला को अवसर देकर एक प्रचंड बहुमत वहां पर (**व्यवधान**) बनाएंगे

एक माननीय सदस्य: इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि अगर वे गवर्नमेंट नहीं बना सकते तो प्रेजीडेंट रूल लग जाएगा (**व्यवधान**)

AN HON. MEMBER: Under which article of the Constitution..... (*Interruptions*)

श्री रामगोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): यह क्या चीज है। आई आब्जेक्ट टु दिस। ये सीधे मेम्बर से नहीं पूछ सकते हैं। बार-बार जो पूछ रहे हैं ये चेयर के थ्रू पूछना चाहिए, जो पूछना है (**व्यवधान**)

श्री जितेन्द्र प्रसाद: क्या पूछा है। मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): मैंने पहले ही कह दिया है कि बिना अनुमति के जो कोई बात होगी वह रिकार्ड में नहीं जाएगी।

श्री जितेन्द्र प्रसाद: मैडम, गवर्नर का लेटर मौजूद है। अगर आप कहें, मैं पढ़कर सुना दूं....

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): जितेन्द्र प्रसाद जी, अब आप समाप्त करें (**व्यवधान**)

श्री जितेन्द्र प्रसाद: एक मिनट मैडम (**व्यवधान**)

यह गवर्नर ने दिया है कि बी०जे०पी०, समता पार्टी एलायंस — 176, ये सारे फिगर्स दिए हैं, कितनी कितनी सीटें किसको हैं और उसके बाद वे कहते हैं:

"So far, the BJP and the BSP and the Indian National Congress have elected the leaders of the legislature party. The Presidential proclamation under Article 356 of the Constitution issued on 18th of October expires at midnight of October 17th. Even though it has been clear since 10th of October that UP will have a hung Assembly, till date, no single party or group of parties has been able to secure support from elsewhere assuring them of a majority in the Assembly. As is to be expected, rumours are afloat of huge sums of money being available. At the same time, given the large gap between actual strength and the minimum number required for a majority, the independents are far too few to bridge the gap. The majority would only be possible, either through understanding amongst the political parties or through engineering defections. The letter would, of course, have to be viewed in the framework of the 10th Schedule of the Constitution. Had there been any party with a clear majority or even near majority, according to normal Constitutional practice, the Head of the State should call the leader of the single largest party to form the Government. The BJP and the Samata Party who have fought together have a total strength of 176. A strength of 213 is required for a simple majority. There is a gap of 37. It is, therefore, abundantly clear that given the relative party strength and the number of independents who are only 14, to secure even a bear majority, the BJP would have to secure either the support of another party or parties or

engineer splits. Till date they have only informed about the election of the leader of their party. The indirect press statements are saying that Government is duty bound to invite them to form the Government. Therefore, the above position is an unprecedented position if at all it could have some comparison with what happened in Kerala in 1965. Furthermore, the present results are also almost a carbon copy of what happened in 1993. The only difference is the BSP and SP are together opposing. This unity is, however, very shortlived. We have seen the political instability. Even in this duration there were two Governments. The first was toppled by others in a few minutes. Till date there is no clear indication that any grouping would emerge. No party had staked its claim and this was till 15th of October. I have, therefore, not gone into this. ...*(Interruptions)*... The notification issued was on 18th of October under Article 356. ...*(Interruptions)*... "It is necessary that your Excellency may take suitable action or give other directions." This is the first letter.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Mr. Jitendra Prasad, now you kindly conclude.

SHRI JITENDRA PRASAD: Madam, one minute.

PROF. NAUNIHAL SINGH (Uttar Pradesh): This letter is unconstitutional. I would like the hon. Member to prove that such and such article of the Constitution supports the spirit of this letter.

SHRI JITENDRA PRASAD: Now, I refer to the last paragraph of the second letter. "In the light of our discussion held this morning I am now further convinced that as of now there is no possibility of any party or a combination of parties providing a Government which would assure us of a stable Government in the State. This would only be achieved from horse-trading or use of money power. These fears I have already conveyed. They have been further reinformed. As such there appears to be no alternative but to reimpose President's rule under Article 356 of the Constitution for the present." और यह पहली बार नहीं हुआ है, यह एक बार पहले भी केरल के अंदर हो चुका है, उन्होंने इसको उद्धृत किया है।

मैडम, मैं यह कहना चाहता हूं कि एक सरकार बननी चाहिए और आज हम इसका राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो सैकुलर फोर्सेस हैं वे जल्दी ही किसी समझौते पर आयेंगी और मैं प्रधान मंत्री जी का सब से बड़ा उत्तरदायित्व इसमें समझता हूं कि वह कोई इनीशिएटिव ले करके सैकुलर फोर्सेस को एक करके वहां पर एक मजबूत सरकार बनानी चाहिए। अगर प्रधान मंत्री जी इस लक्ष्य में फेल होते हैं या इसको एचीव नहीं कर पाते हैं तो इसकी सारी जिम्मेदारी आज यूनाइटेड फ्रंट के ऊपर होगी। इसके साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI (Kerala): Madam, Vice-chairman, I am very glad to intervene in this discussion. Of course, in this issue many constitutional questions are involved. Many political questions are involved. These quetions, these issues, have much relevance with regard to the future of our democratic system. My hon. friend from the BJP side quoted some provisions of the Constitution. He has also quoted some of the quotations from the Sarkaria Commission and he has also referred here to a judgement of the Supreme Court. But here the case in U.P. is entirely different from all others. Can we in the present context or in that particular situation claim any political majority?

What do the provisions of the Constitution say? What does the report of the Sarkaria Commission say? What does the decision of the Supreme Court say? All these say that a political party which seeks to form a Government should secure a vote of confidence on the floor of the Assembly. But, in the present context, no political party can claim a majority in the UP Assembly. In

the present UP Assembly, the BJP-SMP alliance got 176 seats; the United Front got 134 seats; and the BSP-Congress alliance got 100 seats. There were 14 independents also. For securing a simple majority in the UP Assembly, any party or a group of parties shall have to get the support of 213 Members. Without this magic figure, no political party or a combination of political parties can claim a majority in the UP Assembly. It is very clear in the case of BJP. Even though the BJP staked its claim, they could not secure a majority because all other political parties had openly expressed their view that they would not support a BJP Government. The United Front told the Governor that it would not support a BJP Government. The BSP-Congress alliance also told the Governor that it was not going to support a BJP Government. In spite of its claim, it is so patent that the BJP cannot secure a majority in the Assembly. In such a situaiton, whatever references are made are not at all relevant in the UP case.

Actually there are three options before the UP Governnor. One is what my friend from the BJP has suggested—call the BJP to form a Government in UP. The second option available is to dissolve the UP Assembly. The third option open to the Governor is to wait for some more time so as to enable the political parties to come together and then allow that combination of political parties to secure a majority in the Assembly. The first option of calling the BJP to form a Government was rejected by the Governor. My other friend from this side has said that if the BJP is called to form the Government, then no political party is going to support it. Then, how can the BJP prove its majority on the floor of the Assembly except by resorting to horse-trading, anti-democratic means? What it means is that the BJP cannot secure a majority in the UP Assembly. In these circumstances, we have to say that the Governor has taken a very correct decision not to call the BJP to form a Government which may enable it to resort to horse-trading to manipulate a majority. Had the Governor called the BJP, that would definitely have been a butchery of democracy in Uttar Pradesh. However, he did not do that. So, I welcome his decision not to call the BJP and enable its governmental position to manipulate a majority through horse-trading. The second option is to dissolve the Assembly. Even this the Governor did not choose to do. It is very good. What he decided was to allow some more time to the political parties to come together. Let these political parties come together and let there emerge a combination which can claim majority to form the Government. So, he allowed the political parties to come to an agreement through political dialogue, instead of horset trading, so that a combination could emerge and claim majority. This is the step he has taken. I think that is the best course open in a democratic set-up. He has taken that particular step. Actually, the extension of the President's Rule is to facilitate the political parties to come together and claim majority in the Assembly than allowing the BJP to horsetrade and manipulate a majority. This is the only democratic step that can be taken in the very complex and complicated political situation existing in Uttar Pradesh. The President's Rule was expiring on 17.10.1996. There was no other option except to take the decision of extending the President's Rule. He took that decision and we welcome it. The claim of the BJP during that particular period is also proved wrong. The Rajya Sabha election proved that. My hon. friend has claimed that they have been able to get 15 votes more. You should feel ashamed of it — resorting to horsetrading and getting this much. This will butcher democracy and this will go against the democratic polity of our country. The Governor did not allow such a thing to happen in Uttar Pradesh. That was a very good decision.

The other submission is that the

President's Rule should not be extended even by a single day if it is not needed. The other point is this. Who is responsible for the extension of the President's Rule? The responsibility, actually, lies with the BJP. Their political opportunism created this President's Rule in Uttar Pradesh. After 1993 election, the BSP-SP combination's Government was formed. The BJP did not get majority. Making use of the BSP's political opportunism for temporary political gains, the BJP brought down that Government. It supported the BSP in coming to power. After some time, the BJP found it extremely difficult to swallow the BSP and, so, pulled down that Government. Actually, the President's Rule there is the creation of the political opportunism of the BJP. So, this is being extended so as to allow the democratic process to take its course and to facilitate the emergence of a combination which can claim majority in the Assembly. I support this action. The President's Rule should not be extended even by a day beyond what is required in the present situation.

This is all that I wanted to submit, Madam. Thank You.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Shri Wasim Ahmad. This is his maiden speech.

श्री वसीम अहमद (उत्तर प्रदेश): मैडम वाइस चेयरमैन, आज की बहस वह बहस है, जिस बहस को लेकर पिछले 45 दिन से उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेचैनी है और यह बहस आवाम के अंदर भी और खवास के अंदर भी आज बहुत तेज़ी के साथ हो रही है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में जो रिज़ल्ट्स आए, जो नतीजे आए इलेक्शन के, वे नतीजे इस तरीके के नहीं थे कि वहां पर कोई सरकार बन पाती। इसमें कोई शक नहीं है कि बी०जे०पी० सिंगल लारजेस्ट पार्टी थी ..(**व्यवधान**)..

एक माननीय सदस्य: अब क्या हो गया है?

श्री वसीम अहमद: अभी बताता हूं मैं आपको। मैं आपकी ही चिंता का हल करने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। जब आवाम ने कोई क्लीअरकट मैनडेट किसी को नई दिया तो गवर्नर के सामने एक सवाल आया कि सरकार किसकी बने? बी०जे०पी० ने हर मुमकिन कोशिश की सरकार बनाने के लिए। दूसरी तरफ यूनाइटिड फ्रंट, कांग्रेस और बी०एस०पी० के लोगों ने भी गवर्नर साहब को यह लिखकर दिया कि हम किसी भी सूरत में बी०जे०पी० की सरकार नहीं बनने देंगे। जब यह लिखकर दिया गया और उसके बाद किसी ने अपना कोई स्टेटमेंट नहीं दिया या जो लिखकर दिया था गवर्नर साहब को, उसको वापिस नहीं लिया तो गर्वनर साहब के पास इसके इलावा कोई रास्ता नहीं था कि वे किसी को न बुलाएं। बी०जे०पी० बार-बार यह वायदा करती रही और यह कहती रही कि हमें बुलाइए। इसी बीच में उत्तर प्रदेश में राज्य सभा के इलेक्शन आते हैं और राज्य सभा के इलेक्शन में भी बी०जे०पी० ने जिस सूरत से उत्तर प्रदेश के हालात को खराब करना चाहा और यह कोशिश की कि कोई भी तरीका हो, चाहे पोलिटिकल करप्शन के जरिए, चाहे फाइनेंशियल करप्शन के जरिए, वे सरकार में आ जाएं। लेकिन वहां के एम०एल०एज़० ने, सोशियल जस्टिस के लोगों ने और जिनको सैकुलरिज्म में यकीन है, उन्होंने बी०जे०पी० के इन खोखले नारों को और इस खोखली कम्पेन को ठुकरा दिया। हर मुमकिन कोशिश की गई, लखनऊ के हर होटल में लोग बैठे हुए थे। अगर आप ईमानदारी के साथ इस मुल्क में लोगों के ज़हन को बदलना चाहते हैं तो यह मेरी दरख्वास्त है बी०जे०पी० से बहुत मुअद्बाना कि पोलिटिकल करप्शन को न फैलाएं और आयडियोलाजिकली यह उनको हक हासिल है कि जिस तरीके से चाहें, जैसे चाहे अपनी आॅयडियोलॉजी को बढ़ाएं, लेकिन करप्शन के ज़रिए ..(**व्यवधान**)..

श्री राजनाथ सिंह: मैडम, एक मिनट।

एक माननीय सदस्य: यह मेडन स्पीच है।

श्री राजनाथ सिंह: मैडम, मेडन स्पीच का मैं स्वागत करता हूं। ..(**व्यवधान**).. मैडम, यह गंभीर आरोप ..(**व्यवधान**)..

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): राजनाथ सिंह जी, आप टोका-टोकी न करें, कृपा करके बैठ जाएं।

श्री राजनाथ सिंह: मैडम, गंभीर आरोप है ..(**व्यवधान**).. मैडम, मेडन स्पीच है, मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन यह एक गंभीर आरोप है और मैं कहना चाहता हूं ..(**व्यवधान**)..

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): आपको मैंने इजाजत नहीं दी है, आप बैठ जाइए।

श्री राजनाथ सिंह: हार्स ट्रेडिंग कराने का आरोप है, क्यों नहीं इस मामले की सी०बी०आई० से जांच करा ली जाती।

श्री वसीम अहमद: आप तो रोज-रोज यहां रिएक्ट करते है, मुझे आज पहली बार आप यहां बोलने दीजिए और मैं उम्मीद करता हूं कि ..(व्यवधान)..

विपक्ष के नेता (श्री सिकन्दर बख्त): आपसे मैं माफी चाहता हूं, आप बेशक बोलिए।

श्री वसीम अहमद: मेरा मकसद यहां किसी को इरिटेट करने का नहीं है, मैं फिर यह कहता हूं कि आपको हक हासिल है कि ऑथडियालॉजिकली लोगों को अपने साथ जोड़िए और अपनी हुकूमत बढ़ाइए, इससे हम मना नहीं करते हैं, हमारा जो आपसे कहना है वह यह है कि आज फाइनेंशियल करप्शन और पोलिटिकल करप्शन को रोकने की कोशिश हम सब जब तक मिलकर नहीं करेंगे, हम इस मुल्क से करप्शन को दूर नहीं कर सकते। आज यही वजह है कि जिस तरीके से बी०जे०पी० ने उत्तर प्रदेश के अंदर एम०एल०एज़० को खरीदने की कोशिश की और जिस तरीके से उन्होंने चाहा कि किसी भी सूरत से उनकी सरकार बन जाए, लेकिन बी०जे०पी० को वहां पर मुंह की खानी पड़ी और वहां पर तमाम सैकुलर फोर्सिस के और सोशियल जस्टिस फोर्सिस के कैंडीडेट जीतकर आए। यही नहीं, बी०जे०पी० ने एक काम और किया। बी०जे०पी० ने वहां पर यह कोशिश की, एक तो पोलिटिकल इंटरेस्ट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, उसके अलावा यह कहा गया कि देखिए यह दो पार्टियों से माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग जीतकर आ रहे हैं, यह भी बात उन्होंने फैलाई, लेकिन उनकी बात नहीं चली। मैं इस मुल्क की तमाम सैकुलर ताकतों को मुबारकबाद देता हूं कि वे बी०जे०पी० के इस धोखे में नहीं आए। आप गवर्नर साहब के सामने कोई तो लिस्ट दीजिए जाकर। चाहे हम लोग दें या बी०जे०पी० दे और हमें गवर्नर को कन्विंस करना पड़ेगा कि हम सरकार बनाने की स्थिति में है। आपको यह मौका था कि राज्य सभा के इस इलेक्शन में आप साबित कर देते कि हम सरकार बनाएंगे लेकिन आप यहां भी नाकामयाब हो गए। इससे पहले हमने आपको टैक्निकल डिफीट दी थी और इस बाई-इलेक्शन में हमने आपको मॉरल डिफीट दी है। आप बार-बार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार बननी चाहिए और वहां के लोग परेशान है। हम सब चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में डेमोक्रेसी बहाल हो, उत्तर प्रदेश में इलेक्टेड लोगों की सरकार बने और गवर्नर रूल हटे लेकिन यह नहीं हो सकता है कि पोलिटिकल करप्शन के जरिए वहां पर सरकार बनाने की कोशिश की जाए।

जहां तक बी०जे०पी० का सवाल है, बी०जे०पी० कई सालों से हर-मुमकिन कोशिश करती चली आई है कि कम्युनिलिज्म का सहारा लेकर इस मुल्क पर वह हुकूमत करे। पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी आपने हर मुमकिन कोशिश की, प्रेजीडेंट ने आपको बुलाया, 15 दिन का मौका दिया लेकिन आपको इस मुल्क में एक एम०पी० नहीं मिला जो आपके साथ जुड़ सकता। आपने हर मुमकिन कोशिश की कि जो हमारे ऐलाइज़ हैं, वे आपके साथ जुड़े। आप जरा गौर कीजिए कि आप ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं कि लोग आपके साथ जुड़ना नहीं चाहते। यह आपको सोचना पड़ेगा ईमानदारी के साथ कि आप कहां-कहां गलतियां कर रहे हैं और कौन-कौन सी ऐसी चीजें है जिनकी वजह से लोग आपके साथ जुड़ने से कतराते हैं। आज आपके सामने बहुत से सवालात हैं इस मुल्क के और उत्तर प्रदेश के। ट्रॉयल ऐंड ऐरर, कुछ तो हो। आप लाइए अपनी लिस्ट और सरकार बनाइए या फिर और लोगों को मौका दीजिए। हम लोग राज्य सभा में चुनकर आए हैं, इससे लोगों में एक उम्मीद बंधी है उत्तर प्रदेश में सरकार बनने की और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अब उत्तर प्रदेश में बी०जे०पी० की सरकार नहीं बन पाएगी। अगर बनेगी तो फिर सेक्युलर फोर्सेज की बनेगी। उसकी वजह यह है कि इतनी कोशिश कर रहे हैं बी०जे०पी० के लोग कि किसी भी तरह से एम०एल०ए० उनके साथ चले जाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि आपने पैसे के जरिए क्रॉस वोटिंग कराने की कोशिश की और 10—12 वोट आपके साथ आ गए लेकिन आप गौर कीजिए कि आपने वे वोट कैसे खरीदे है? आप यह नहीं कह सकते हैं कि वे आईडियोलोजिकली आपके साथ आए हैं। वे आपके पैसे से उधर आए है। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वे आईडियोलोजिकली आपके साथ आए हैं। अगर आईडियोलाजिकली आपकी तरफ गए होते तो फिर बहुत से लोग उधर गए होते। अब वहां आपकी सरकार नहीं बन पाएगी। इस मुल्क के अंदर और खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर लोग यह चाहते हैं कि एक मजबूत सरकार बने, एक अच्छी सरकार बने लेकिन वह सरकार कम्युनल फोर्सेज की नहीं बनेगी।

6 दिसंबर से लेकर आज तक कौन सा हथकंडा

आपने नहीं अपनाया है इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने का लेकिन यह मुल्क गरीबों का है, यह मुल्क मजदूरों का है, यह मुल्क अकल्लियतों का है, यह मुल्क पिछड़ों का है, यह मुल्क उन लोगों का है जिनको गंगा-जमुना पर यकीन है। इस मुल्क की हजारों सालों की परंपरा है कि सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। यही वजह है कि आपके साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए और चाहे जितना कह लीजिए कि हमें सरकार बनाने का मौका दो, आपको अब वहां सरकार बनाने का मौका नहीं मिलेगा। आपके साथ एम०एल०ए० नहीं जाना चाहते हैं, आपके साथ लोग नहीं जुड़ना चाहते हैं।

महोदया, मैं अंत में यह बात कहना चाहता हूं कि लोगों की ख्वाहिश यह है कि वहां पर एक स्थिर सरकार बनें। अब आपकी सरकार बनना इतना आसान नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो गवर्नर रूल लगा हुआ है, थोड़े दिन और उसे रहने दीजिए और गवर्नर को आप कन्विंस कीजिए कि ऐसी सरकार वहां बने...। आप गवर्नर को यह कंवीस कीजिए कि वह किसी ऐसी सरकार को बनाए जो सरकार कांस्टीट्यूशन के तहत हो, जो सरकार अपनी मजॉरिटी को प्रूव कर सके हाऊस के अंदर। कौन सा ऐसा तरीका हो जिससे गवर्नर कंवीस हो। क्योंकि आप बाहर कंवीस नहीं कर सकते हैं तो अंदर कैसे प्रूव करेंगे। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ईश दत्त यादव: मैड्म, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा महामहिम राष्ट्रपति जी ने की और जिसके संबंध में माननीय गृह मंत्री जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैडम, उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनावों के बाद जो दलगत स्थिति आई उसमें भारतीय जनता पार्टी को केवल 176 स्थान मिले जिसमें इनके दो स्थान सहयोगी दलों के भी हैं। अब इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि इनको सरकार बनाने का मौका दिया जाए। हमारे मित्र श्री राजनाथ सिंह जी जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से बोल रहे थे तो इनकी बातों से मुझे लगता था कि अभी यह आधे मन से बोल रहे हैं और उसको स्वीकार कर रहे हैं कि राज्यपाल जी ने जो रिपोर्ट भेजी वह विधि-सम्मत और संविधान सम्मत है। मैडम्, जब ऐसी स्थिति आ जाए कि कोई दल बहुमत में नहीं है तो राज्यपाल जी के समक्ष दूसरा विकल्प क्या हो सकता है। क्या यह तत्काल विधान सभा को भंग कर देते। राज्यपाल जी ने महामहिम राष्ट्रपति जी को जो संस्तुति भेजी वह हमारे माननीय जितेन्द्र प्रसाद जी ने पढ़कर सुनाई, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जी की सराहना करता हूं कि संविधान में जो व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था का उन्होंने पूरा-पूरा पालन किया और महामहिम राष्ट्रपति जी को अपनी रिपोर्ट भेजी। मैडम्, संविधान के आर्टिकल-163 में जिसको माननीय राजनाथ सिंह जी उल्लेख कर रहे थे, मैं आर्टिकिल-163 का दो पैराग्राफ और आर्टिकल-164 का एक पैराग्राफ पढ़ूंगा:

> "There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Governor in the exercise of his function, except in so far as he is by or under this Constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion."

मैड्म, सब-क्लॉज-2 में है, इसको चेलेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं इसको पढ़ना नहीं चाहता। आर्टिकल-164 का सब-क्लॉज-1 पढ़ रहा हूं:

> "The Chief Minister shall be appointed by the Governor and the other Ministers shall be appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister, and the Ministers shall hold office during the pleasure of the Governor."

यह संविधान की व्यवस्था है। मैड्म, उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनाव के बाद जो दलगत स्थिति आई उसके अनुसार समाजवादी पार्टी 109, बहुजन समाज पार्टी 66, कांग्रेस 33, जनता दल 7, किसान कामगार पार्टी 8, सी०पी०आई० 4, सी०पी०एम० 1, एस०जे०पी० 1, निर्दलीय 13 और समता पार्टी जो इनका सहयोगी दल है, का दो है। अब जो साम्प्रदायिक लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी है और इनका सहयोगी दल है इनको कुल 176, बहुमत इनका है या धर्मनिरपेक्ष ताकतों का? जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, ये मेजॉरिटी में हैं। यह जरूर है कि नेतृत्व के प्रश्न पर कोई सहमति नहीं बनी, अब इस समय बन जाएगी लेकिन ये बहुमत में कैसे हो सकते हैं? राज्यपाल जी ने ठीक ही लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि 33 ये साबित नहीं कर पा रहे हैं। राज्यपाल जी ने कहा कि आप हमारे समक्ष अपना बहुमत साबित करिए। ये कहते हैं कि हम आपके समक्ष साबित नहीं करेंगे, विधान सभा के अंदर साबित करेंगे। बिना संतुष्ट हुए कि आप बहुमत में हैं, राज्यपाल जी आपको सरकार बनाने

के लिए किस तरह से आमंत्रित कर सकते हैं? ....(व्यवधान) .... अभी 29 नवम्बर को राज्य सभा के चुनाव हुए। उस चुनाव में तीनों स्थानों पर ये बुरी तरह पराजित हो गए। मैं इनकी हिम्मत की दाद दे रहा हूं कि चार दिन पहले बुरी तरह पराजित हुए और आज फिर कह रहे हैं कि हम बहुमत में हैं, हमें सरकार बनाने का निमंत्रण मिलना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने चुनाव में इनको नकार दिया। इसलिए नकार दिया कि 1991 में प्रदेश की बदकिस्मती से इनकी सरकार बन गई थी और जितने दिन इनकी सरकार रही, इन्होंने प्रदेश के अंदर नफरत पैदा की, घृणा पैदा की और 6 दिसम्बर की दुखद घटना हुई, मानवता को कलंकित करने वाली दुर्घटना हुई, ये सारी घटनाएं हुई। इनके पास कोई योजना नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, गरीब के लिए, किसान के लिए, मज़दूर के लिए, पिछड़े के लिए कोई योजना नहीं है। धर्म और मज़हब के नाम पर नफरत पैदा करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं। धर्म और मज़हब के नाम पर ये चुनाव जीतकर सरकार बनाना चाहते हैं इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने इन को इंकार कर दिया, आप बहुमत में नहीं आ सकते थे लेकिन आपके मनसूबे थे।

माननीय राजनाथ सिंह जी लोकसभा का ज़िक्र कर रहे थे। ठीक है, लोक सभा में भी लगभग यही स्थिति थी लेकिन तेरह दिन तक कोई आपको नहीं मिला। आपने लाख प्रयास किया, पैसा लेकर, धमकी के ज़रिए, प्रलोभन दे करके लेकिन में मुबारकबाद देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा ....(व्यवधान).....

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: पैसा देकर, धमकी देकर ...मैड्म, यह आपत्तिजनक बात है। ....(व्यवधान)....

श्री ईश दत्त यादव: जो अपने सिद्धांत पर अटल रहे, जो धर्मनिरपेक्ष रहे, वे सत्ता में आ गए और 13 दिन के अंदर सरकार चली गई। आप क्या चाहते हैं कि 13 दिन तक यहां भी आपकी सरकार चले और उसी की पुनरावृत्ति हो? इसलिए सही मायने में, सही तरीके से और संविधान के अनुसार राज्यपाल जी आपसे बार-बार कह रहे हैं कि आप बहुमत साबित करिए। आप आज बहुमत साबित करिए राज्यपाल जी के सामने, कल साबित करिए और इसके बाद भी अगर राज्यपाल जी आपको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं करते हैं तब तो कहा जा सकता है कि यह कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से काम नहीं हो रहा है।

मैडम, आर्टिकल 356..

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): अब आप समाप्त करें।

श्री ईश दत्त यादव: समाप्त हो जाएगा मैडम। आर्टिकल 356 के सब क्लॉज़ में ऐसी ही स्थिति के लिए व्यवस्था की गई कि जब कोई भी दल सरकार बनाने में असमर्थ हो जाए, सरकार न चल सके, कोई और स्थिति पैदा हो जाए, मैं केवल वही पैराग्राफ पढ़ करके अपनी बात समाप्त करूंगा। आर्टिकल 356, सब क्लॉज़। : If the President, on receipt of a report from the Governor of a State or otherwise, is statisfied that the situation has arisen in which the Government of the State cannot be carried on in accordance with the provisions of this Constitution, the President may by proclamation.....

आगे विस्तार में दिया गया है मैडम। माननीय राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि कोई मांग नहीं कर रहा है तो हमें ही बुला लिया जाए। मैडम, अगर कोई मांग न करे और चार-पांच सदस्यों की कोई पार्टी हो, वह मांग करे कि हमें ही सरकार बनाने का मौका दिया जाए तो क्या यह संविधान सम्मत होगा? यह संविधान सम्मत नहीं होगा इसलिए मैडम, राज्यपाल जी ने जो अपनी संस्तुति की है और महामहिम राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति शासन की उत्तर प्रदेश में जो उद्घोषणा की, मैं इसका समर्थन करता हूं और माननीय गृह मंत्री जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है इसकी पुष्टि के लिए, मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. B.B. DUTTA (NOMINATED): Madam, the President's rule that has been promulgated in Uttar Pradesh was something that was inevitable, we are told. But then, it could have been avoided.

By imposing President's rule and having an administration run by bureaucrats, we did not gain anything; particularly so in a canvas like UP, the largest and the most populous State in India, a State which has been provided stability to the entire Indian Republic for decades.

That State has come to such a pass today because of the unleashing of certain forces over the past few years

wherein there has been a continuous clash and concert of caste politics, communal politics, cheap politics; as a result, political destablisation had set in. The effect of this has been that the major political parties have suffered loss of prestige and debasement. Today the situation has come to such a pass that it has become unperative to arrest this, instead of trying to future aggravate the process of its disintegration.

It is in this context, Madam, that I would like to offer a few comments regarding this matter—the imposition of president's rule beyond the stipulated period of the one year.

I think it is high we recapture. The spirit in which we had formed a secular Government at the centre. The same spirit, the same concerted opinion and the same orchestration are urgently required in getting a Government installed in UP.

My question to the UF Government and to the leaders of the UF is this. Why is this urgency not being shown? Why is the seriousness of the UP situation not being realised? Why are you taking so much time? It is two months now. We have not been able to form a Government in UP and, therefore, we had to come to the House for the endorsement of the Statutory Resolution on reimposition of President's rule.

Why have we come to this pass? We formed a Government at the Centre. What was the slogan? A secular combination should rule the country. It was the need of the hour. Now, is it not the need of the hour in the case of UP also? Yes; it is being talked about. But then, there is no agreement on leadership. Is it not the bounden duty on the part of the poeple who are in power at the Centre that they should make the highest sacrifice, without entering into any controversy without debating questions like as to who should become the Chief Minister and which party is going to rule UP should you not make the same gesture to others and help to form a secular Government.

I would ask the UF leaders. Why are you not magnanimous enough? Why are you quarreling over smaller and narrow or issues? Why don't you agree to the BSP leading the Government in UP? If you are really serious, if you are really honest, if you really have the interest of the nation at heart, this controversy, this debate, is meaningless.

Madam, if we go by the results of the UP elections, what do we find? All the political parties have suffered, I would say, excepting the BSP. They have retained their position which they had in 1993, in spite of the fact that they were not supported this time in the elections by the Samajwadi Party. They did not get the most predominant Yadav votes...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Dr. Dutta, you are on your legs. It is now 5 p.m. The House is adjourned till 11 a.m. tomorrow.

The House then adjourned at five of the clock, till eleven of the clock on Thursday, the 5th December, 1996.